सत्यमेव जयते

सी.सं. 40(18)/निबन्धन/ /2006–07/तक./ 1049 दिनांक 1-5-2007

भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त

13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में, हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एन्वायरमेन्ट
इकोलाजी एण्ड डवलपमेन्ट
पो० बैग नं० 7 हिफडीफ कैम्पस
रानीचौरा टिहरीगढ़वाल

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक में निबन्धन हेतु।

न्यास/संस्था का नाम एवं पता हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एन्वायरमेन्ट इकोलाजी एण्ड डवलपमेन्ट पो० बैग नं० 7 हिफडीफ कैम्पस रानीचौरा

दिनांक 24-05-1995 को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 06-11-06 को प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित समय के भीतर/ 10 वर्ष 05 माह और 12 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया है। चूंकि न्यास/संस्था ने विलम्ब से पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण नहीं दिया है इसलिए विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। परन्तु धारा 12–कक (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निबन्धन दिनांक 1-4-2006 से स्वीकृत किया जाता है।

2. आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12–कक के आवेदन रजिस्टर में प्रपत्र संख्या 64/06-07 पर की गई है।

3. यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है। यदि निम्नलिखित तीनों शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन न्यास/संस्था के द्वारा किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र रिटर्न दाखिल करने अथवा ऑडिटेड एकान्ट्स दाखिल करने की अन्तिम निर्धारित तिथि अथवा न्यास/संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन की तिथि से स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

i) न्यास/संस्था आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष संबंधित अधिकारी के समक्ष आयकर रिटर्न दाखिल करें।

ii) न्यास/संस्था द्वारा कार्यालय में ऑडिटेड एकाउन्टस की प्रति प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करे।

iii) यदि न्यास/संस्था के उद्देश्यों मं कभी परिवर्तन किया जाता है तो न्यास/संस्था को फिर से धारा 12क के अन्तर्गत आवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

सील

आयकर आयुक्त देहरादून

वाय एस रावत
(वाय.एस. रावत)
आयकर आयुक्त
देहरादून

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. न्यास/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर/वार्ड/सर्किल TDS & TR हरिद्वार को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तरांचल को सूचनार्थ प्रेषित।

आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून

c:\nov 06\income tax forms